

नदी जोड़े परयोजना: आसान नहीं है नदियों को जोड़ना

संदर्भ

हाल ही में उत्तर भारत के छह राज्यों ने हमिचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अपर यमुना बेसनि में बनाए जाने वाले रेणुका बांध को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर कर्य। रेणुका बांध का मुद्वा वभिन्न कारणों से दो दशकों से अधिक समय से अधर में लटका हुआ है।

दरअसल, हमारे देश में ग्रन्थियों का मौसम अभी आया नहीं होता, लेकिन पानी की उपलब्धता को लेकर योजनाएँ बनने लगती हैं और चति जताई जाने लगती हैं। ऐसा हर साल देखने को मिलता है। देश में छोटी-बड़ी नदियों, झीलों और तालाबों आदि में पानी की असमान उपलब्धता की वज़ह से यह समस्या उत्पन्न होती है... और इसके एक संभावित समाधान ने नदियों को आपस में जोड़ने की अवधारणा को जन्म दिया।

भारत में 'नदी जोड़े' की पृष्ठभूमि

भारत में नदी जोड़े का विचार सर्वप्रथम 1858 में एक ब्रिटिश सचिवाई इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन ने दिया था। लेकिन तब से अब तक इस मुद्दे पर कोई खास प्रयोग नहीं हुई है। दरअसल, राज्यों के बीच असहमति, केंद्र की दखलंदाज़ी के लिये कसी कानूनी प्रावधान का न होना और प्रयावरणीय चति इसकी राह में कुछ बड़ी बाधाएँ बनकर सामने आती रही हैं। जुलाई 2014 में केंद्र सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति के गठन को मंजूरी दी थी।

जीव-जगत की जीवन-रेखा है नदियाँ

नदियों को मनुष्यों और अन्य समस्त जीव-जगत की जीवन-रेखा माना जाता है। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि दुनिया की तमाम बड़ी मानव-सभ्यताएँ कसी-न-कसी नदी के किनारे ही विस्तृत हुई हैं। सचिवाई और प्रेयजल का प्रमुख स्रोत नदियाँ ही होती हैं। इसके अलावा, जलमार्गों को प्रविहन का सबसे कफियती माध्यम माना जाता है... और नदियों के साथ लाखों लोगों की आजीविका भी जुड़ी रहती है।

बड़ी मात्रा में बेकार चला जाता है पानी

हमारे देश में सतह पर मौजूद पानी की कुल मात्रा 690 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष है, लेकिन इसका केवल 65 फीसदी पानी ही इस्तेमाल हो पाता है। शेष पानी बेकार बहकर समुद्र में चला जाता है, लेकिन इससे धरती और महासागरों तथा ताजे पानी और समुद्र का पारस्थितिकीय संतुलन बना रहता है।

हालाँकि पानी की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले स्थानकि और अस्थायी कारण भी हैं। इसकी वज़ह से भारत में सूखा और बाढ़ जैसे हालात साथ-साथ चलते हैं। ऐसे देश के लिये जहाँ की आबादी के एक बड़े हिस्से को साफ़ पानी उपलब्ध नहीं है, यह स्थितिनिश्चयी ही चतिनीय है।

नदियों के पानी का अधिकितम उपयोग कर्या जाए

- नदियों को आपस में जोड़ना नदियों के पानी का अधिकितम उपयोग सुनिश्चित करने का एक तरीका है।
- इस प्रक्रिया में अधिक पानी वाली नदी को कम पानी वाली नदियों से जोड़ा जाता है।

उदाहरण के लिये, गोदावरी नदी के बेसनि की क्षमता प्रतिवर्ष 110 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की है, जबकि कावेरी में यह मात्रा केवल 21 बिलियन क्यूबिक मीटर ही है। ऐसे में गोदावरी नदी के पानी का अधिकितम इस्तेमाल करने के लिये उसका अतिरिक्त पानी कावेरी नदी में डाला जा सकता है।

- इसके अलावा, नदियों को जोड़ने से उत्पन्न होने वाले संभावित प्रयावरणीय प्रभावों को कम करने के लिये अंतर-बेसनि जल अंतरण (Inter-basin Water Transfer) के अलावा कई अन्य लघुकालीन और दीर्घकालीन उपाय कर्या जा सकते हैं।

अभी क्या है स्थिति?

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा अगस्त, 1980 में तैयार अंतर-बेसनि जल अंतरण के माध्यम से जल संसाधन विकास के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perspective Plan) के तहत राष्ट्रीय जल विकास अभियान (National Water Development Authority) व्यवहार्यता रपोर्ट (Feasibility Report) तैयार करने हेतु 30 संपर्कों (प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 और हिमालयी घटक के तहत 14) की पहचान की गई

है। इस योजना के अनुसार 30 नहरों के साथ ही 3000 जलाशयों और 34 हजार मेगावाट क्षमता वाली वर्भिन्न जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण कराया जाना है। इसके अतिरिक्त इसके पूरा होने पर 87 मलियन हेक्टेयर भूमि पर सचिाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। केन-बेतवा लक्ष्य परियोजना इस वृहद नदी जोड़ो योजना की ही पहली कड़ी है। लेकिन इस योजना पर आने वाला भारी-भ्रकम खर्च वहन करना भारत जैसे विकासोन्मुख देश के लिये आसान नहीं है। 2002 के अनुमानों के अनुसार इस योजना पर 123 बलियन डॉलर लागत आने का अनुमान था। आज 17 वर्ष बाद यह लागत नशिर्चित ही कई गुना बढ़ गई होगी।

केन-बेतवा नदी संपर्क

अभी तक केवल केन-बेतवा संपर्क पर ही कुछ काम हुआ है और धरातल पर हुई प्रगतिदिग्धिएँ भी देती हैं। यह देश का ऐसा पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है जिसि पर कुछ प्रगतिहुई है। इस नदी संपर्क के तहत केन नदी का अतिरिक्त पानी नहरों के माध्यम से बेतवा नदी में डाला जाना है। इस परियोजना के पूरा हो जाने से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के सूखा प्रभावति क्षेत्रों को लाभ पहुँचेगा और वहाँ सचिाई, जल-विद्युत और पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ेगी।

आपको बता दें कि केन नदी मध्य प्रदेश स्थिति कैमूर की पहाड़ियों से नकिलती है और 427 कलिमीटर की दूरी तय करने के बाद उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना में मलि जाती है। वहीं बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले से नकिलती है और 576 कलिमीटर की दूरी तय करने के बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मलि जाती है।

नदी जोड़ने से होने वाले लाभ

- पेयजल की समस्या कम होगी
- सूखे और बाढ़ की समस्या कम होगी
- आरथिक समृद्धि आने से लोगों का जीवन-स्तर सुधरेगा
- कृषि में सचिति क्षेत्र के हस्तिसे में उल्लेखनीय वृद्धि होगी
- जलविद्युत की उपलब्धता होने से सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होगी
- नहरों का विकास होगा
- नौवहन के विकास से परविहन लागत कम होगी
- प्रयटन स्थलों के बनने से विकास का स्तर बढ़ेगा
- वनीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा

नदी जोड़ो की राह में उकावें

नदी जोड़ो परियोजना एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण परियोजना है। लेकिन राज्यों के बीच पानी को लेकर जारी विवाद नदियों को जोड़ने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। नदियों को आपस में जोड़ना अपने आप में एक बेहद कठिन काम है, पर यह मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब संबंध राज्य पानी के बैंटवारे को लेकर आपस में उलझ जाते हैं। देशभर में लंबे समय से वर्भिन्न राज्यों के बीच नदियों के जल बैंटवारे को लेकर विवाद चल रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि वर्भिन्न ट्रायियूनल्स और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी इसे सुलझाने में नाकाम रहे हैं। सरकार को चाहिये कि राज्यों से विचार-विभाग के बाद तुरंत एक ऐसी राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण करे, जो भारत में भूजल के अत्यधिक दोहन, जल के बैंटवारे से संबंधित विवादों और जल को लेकर पर्यावरणीय एवं सामाजिक चित्तियों का समाधान कर सके। इन सुधारों पर कार्य करने के बाद ही नदी जोड़ो जैसी बेहद खर्चीली परियोजना को अमल में लाया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय जल मिशन

राष्ट्रीय जल मिशन (National Water Mission) का मुख्य उद्देश्य समेक्ति जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के भीतर और बाहर जल का संरक्षण, उसकी न्यूनतम बरबादी तथा उसका अधिक समान वितरण करना है।

मिशन के 5 प्रमुख लक्ष्य

1. व्यापक जल डेटाबेस को सार्वजनिक करना तथा जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना
2. जल संरक्षण, संवरद्धन और परिक्षण हेतु नागरिक और सरकारी कार्रवाई को बढ़ावा देना
3. अधिक जल दोहन वाले क्षेत्रों सहति कमज़ोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना
4. जल उपयोग कुशलता में 20 फीसदी की वृद्धि करना
5. बेसनि स्तर तथा समेक्ति जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना

संविधान में पानी को राज्यों का विषय माना गया है, लेकिन जो नदियाँ एक से अधिक राज्यों में बहती हैं, उन्हें राष्ट्रीय संपत्तिघोषित किये जाने की चर्चा भी समय-समय पर ज़ोर पकड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद पर अपना अंतिम निर्णय देते हुए कहा था कि किसी भी अंतर-राज्यीय नदी का जल राष्ट्रीय संपत्ति है और कोई भी राज्य इन नदियों पर अपना दावा नहीं कर सकता।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rive-linking-project-not-easy-to-connect-rivers>